

## आदेश

बैंक प्रधान कार्यालय के पत्रांक 55311/आई0टी0 सेल/17-18 दिनांक 27.12.17 के द्वारा भारत सरकार की Government E Market Place (GeM) के माध्यम से सामग्री एवं सेवाओं के क्रय की कार्यवाही करने हेतु बैंक के निम्न अधिकारियों को नामित किया गया है तथा यह अपेक्षा की गयी है कि जेम से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश शासन के समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये-


क्रमांक	नाम	पदनाम	GeM में निर्धारित रोल	अनुभाग का नाम जिससे सम्बन्धित सामग्री/सेवाएं क्रय की जायेगी
1	श्री अजय पाल सिंह	महाप्रबन्धक (तकनीकी)	HOD/ प्राइमरी यूजर (Secondary user बनाने हेतु )	
2	श्री बृजेश कुमार दुबे	उप महाप्रबन्धक (कम्प्यू0)	सेकेण्डरी आफिसर (बायर (Buyer) एवं कंसाइनी के रूप में)	कम्प्यूटर/आई0 टी0 सेल
3	श्री सुभाष चन्द्र	सहायक महाप्रबन्धक (लेखा)	सेकेण्डरी आफिसर (DDO तथा Paying Authority के रूप में)	
4	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	सहायक महाप्रबन्धक	सेकेण्डरी आफिसर(बायर (Buyer) एवं कंसाइनी के रूप में)	नजारत, भवन, विधुत एवं बैंक के समस्त अनुभाग (स्टेशनरी एवं कम्प्यूटर/आई0 टी0 सेल को छोड़कर)
5	श्री अनिल कुमार पाण्डेय	सहायक महाप्रबन्धक	वेरीफाइंग आफिसर	
6	श्री सुधीश कुमार	वरिष्ठ प्रबन्धक	सेकेण्डरी आफिसर (DDO तथा Paying Authority के रूप में)	
7	श्री अविनाश चन्द्र	सहायक महाप्रबन्धक	सेकेण्डरी आफिसर (बायर (Buyer) एवं कंसाइनी के रूप में)	स्टेशनरी अनुभाग



8	श्रीमती श्रीवास्तव	शारमिला	वरिष्ठ प्रबन्धक (कम्प्यूटर)	सेकेण्डरी आफिसर (बायर (Buyer) एवं कंसाइनी के रूप में)	कम्प्यूटर/आई0 टी0 सेल
---	-----------------------	---------	--------------------------------	---	--------------------------

इस संबंध में अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (कम्प्यूटर) सहकारिता उत्तर प्रदेश ने पत्र 83-86/कम्प्यूटर सेल/ 20 जून, 2018 द्वारा कतिपय शासनादेश संलग्न कर उनके अनुपालन की अपेक्षा की गयी है।

उक्त शासनादेश की प्रति समस्त सम्बन्धित को इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी उक्त का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
(के0पी0 सिंह)  
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय-लखनऊ।

पत्रांक 51633


/आई0टी0सेल/18-19

दिनांक-3-7-18

प्रतिलिपि-

1. सम्बन्धित समस्त अधिकारियों को अनुपालनार्थ।
2. समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ।
3. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर) को ई-मेल कराने तथा बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।
4. समस्त अधिकारी, प्रधान कार्यालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र को सूचनार्थ
5. महाप्रबन्धक (तक0) उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 को इस आशय से कि उप सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 तथा स्टेट जेम सेल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के श्री हर्ष प्रताप सिंह मो0न0 8400895956 ई-मेल-gemcellup@gmail.com से सम्पर्क कर सम्बन्धित बैंक अधिकारियों को जेम के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण आयोजित कराना सुनिश्चित करें।
6. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (कम्प्यूटर), सहकारिता, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र 83-86/कम्प्यूटर सेल/ 20 जून, 2018 तथा 87-91/कम्प्यूटर सेल/ 21 जून, 2018 के संबंध में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि बैंक अधिकारियों को जेम पोर्टल पर कार्य करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 से अपने स्तर से अनुरोध करने की कृपा करें।
7. सहायक महाप्रबन्धक (लेखा/अहरण एवं वितरण अधिकारी) को संलग्न शासनादेश सं0-21/2017/704/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016 30 नवम्बर, 2017 के अनुसार जेम पोर्टल हेतु बैंक एकाउन्ट खोलने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।

संलग्नक-(उपरोक्तानुसार शासनादेश तथा  
निबन्धक कार्यालय के पत्र)

  
प्रबन्ध निदेशक